COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***Case no. 13C/2026***

Addl. Sessions Judge-I-cum-Special-Judge SC & ST Act., Jamui,

Bindu Devi Vs. Asha Devi and Others

25.05.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादिनी की हाजरी है। पुकार पर परिवादिनी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को उपस्थित हुये। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह आपराधिक परिवाद दिनांक 03.02.2026 को दाखिल किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षियों प्रदीप कुमार दास एवं अशोक रविदास का साक्ष्य करवाया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी बिन्दु देवी का मामला साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 09.12.2025 को उसकी सास सुमा देवी, जो काफी वृद्ध एवं मानसिक रूप से बीमार है, उसे बहला–फुसलाकर अभियुक्त आशा देवी ने खाता संख्या 24, खेसरा संख्या 1126, रकवा 12 डिसमिल, जो मौजा भोड़ में है, वह सिरियल संख्या 12790 एवं डीड संख्या 12742 के माध्यम से उसकी जमीन पर केवाला करवा लिया। दिनांक 25.01.2026 को परिवादिनी को जब इसकी जानकारी हुयी तो वह आशा देवी के घर गयी और बोली कि आप ऐसा क्यों किये। तब अभियुक्तगण ने उसको साली, हरामजादी, चमार, नीज, छुतजात कहकर गाली गलौज किया एवं महेश साव एवं सुमन कुमार उसको घसीट कर बाल पकड कर दरवाजा से बाहर सड़क पर लाया और आशा देवी तथा सुमन कुमार जबरदस्ती गोबर का घोल बना कर उसको पिला दिया। महेश एवं सुमन कुमार उसको बुरी नियत से जमीन पर पटक दिया और बदन का कपड़ा भी फाड़ कर अर्द्धनग्न कर दिया और बोला कि साली, हरामजादी, चमैन, छूत जात मेरे घर पर कैसे आ गयी।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने अपन सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षियों प्रदीप कुमार दास एवं अशोक रविदास का साक्ष्य करवाया है। परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) में मात्र यह कहा है आशा देवी, सुमन कुमार एवं महेश साह ने उसको चमैइन बोला और बाल पकड़कर खींच दिया और सुमन कुमार एवं आशा देवी ने गोबर घोलकर पिला दिया और अर्द्धनग्न कर दिया। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि **वह सोने का जितिया पहनी है, नाम में सोने का नथ पहले हुयी है। कोर्ट में तीन महिला बैठी हुयी है, उसमें सबसे अच्छी साड़ी वह पहले हुयी है।** जांच साक्षी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है

कि महेश साव, सुमन, आशा देवी ने बिंदु देवी के साथ गाली–गलौज किया और कहा कि चमईन तुम कुछ नही कर पाओगी, जहां जाना है जाओ। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि **राहुल कुमार बिहार पुलिस में है, सुमन टीचर है तथा महेश साव का कपड़ा का दुकान गोपालपुर मे है। जमीन महेश साव के कब्जे में हे। बिन्दु देवी की सास सुमा देवी कलकत्ता में है। कलकत्ता में सुमा देवी के पति का चप्पल की दुकान है। वह अपने पति के पास चली गयी। जो केवाला सुमा देवी ने किया है, वह जमीन सुमा देवी की नाम से है। जमीन वापस कर देगा तो उसकी मामी बिन्दु देवी मुकदमा हटा लेगी।** जांच साक्षी संख्या 2 ने कथन किया है कि इन्दु देवी के साथ मारपीट किया गया और घोला मिलाकर पिला दिया। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि **सुमा देवी अपने पति के साथ कलकत्ता में रहती है। जमीन बिकी को लेकर झगड़ा है। सुमा देवी अपने पति के साथ रहती है। उल्लेखनीय है कि जांच साक्षियों ने परिवाद पत्र एवं परिवादिनी के सशपथ बयान में उल्लिखित इस तथ्य का कि अभियुक्तगण ने परिवादिनी को साली, हरामजादी, चमार, नीच, छूतजात कहकर गाली दी एवं महेश साव एवं सुमन कुमार उसको घसीट कर बाल पकड कर दरवाजा से बाहर सड़क पर लाये और आशा देवी तथा सुमन कुमार जबरदस्ती गोबर का घोल बना कर उसको पिला दिया। महेश एवं सुमन कुमार उसको बुरी नियत से जमीन पर पटक दिया और बदन का कपड़ा भी फाड़ कर अर्द्धनग्न कर दिया, का समर्थन अपने–अपने साक्ष्य में नही की है।** परिवादिनी एवं जांच साक्षियों के बयान में मेरे विचार से गम्भीर विरोधाभाष है। अतः मेरे विचार से मामले में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः यह आपराधिक परिवाद अस्वीकृत (Reject) किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।